प्रारंभिक परीक्षा

सरकार द्वारा आईटी अधिनियम धारा-79(3)(b) के उपयोग के खिलाफ X की चुनौती

संदर्भ

एलन मस्क के स्वामित्व वाली **X (पूर्व में ट्विटर)** ने सोशल मीडिया पर कंटेट को मॉडरेट करने और हटाने के संबंध में भारत सरकार द्वारा आईटी अधिनियम, 2000 की धारा-79(3)(b) के उपयोग को चुनौती दी है।

धारा-79 क्या है?

- **सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000** की धारा-79 मध्यस्थों (जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, खोज इंजन और इंटरनेट सेवा प्रदाता) को "**सेफ हार्बर**" संरक्षण प्रदान करती है।
- **सेफ हार्बर संरक्षण:**
    - यह एक कानूनी ढांचा है जो बिचौलियों (जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन मार्केटप्लेस या होस्टिंग सेवाएं) को उनके उपयोगकर्ताओं द्वारा अपलोड की गई सामग्री के लिए उत्तरदायी होने से बचाता है, जब तक कि वे कुछ शर्तों का अनुपालन करते हैं।
    - **जैसे**: विकिपीडिया, गूगल, फेसबुक आदि।
- **धारा 79 के प्रमुख प्रावधान:**
    - **79(1): उत्तरदायित्व से छूट:** मध्यस्थों को उपयोगकर्ताओं द्वारा पोस्ट किए गए कंटेंट के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा, जब तक कि वे सामग्री को संशोधित करने या बनाने में शामिल न हों।
    - **79(2): सेफ हार्बर संरक्षण के लिए शर्तें:** मध्यस्थ को निष्क्रिय माध्यम के रूप में कार्य करना चाहिए (अर्थात्, कंटेंट को संशोधित या संरक्षित नहीं करना चाहिए)। इसे कानूनों और आईटी नियमों के प्रावधानों का पालन करना चाहिए।
    - **79(3): सेफ हार्बर संरक्षण के अपवाद**: सेफ हार्बर तब लागू नहीं होता जब:
        - **(3)(a)** मध्यस्थ कंटेंट के प्रकाशन, संशोधन या चयन में सक्रिय रूप से शामिल है।
        - **(3)(b)** मध्यस्थ वास्तविक जानकारी या सरकारी/अदालत के **आदेश प्राप्त करने के बाद भी कंटेंट को हटाने में विफल रहता है।**

श्रेया सिंघल मामले में धारा 79(3)(b) पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश -

- **सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 79(3)(b) के** दायरे को सीमित करते हुए फैसला सुनाया कि: कंटेंट हटाने के आदेश **अनुच्छेद 19(2) के आधार पर अदालत या सरकारी अधिसूचना से आने चाहिए।**

सरकार के अक्टूबर 2023 निर्देश और सहयोग पोर्टल -

- **अक्टूबर 2023 में, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY)** ने एक निर्देश जारी किया:
    - **सभी मंत्रालय, राज्य सरकारें और पुलिस प्राधिकरण, यह बताते हुए कि वे धारा 79(3)(b) के तहत ब्लॉकिंग आदेश जारी कर सकते हैं।**
- **अक्टूबर 2024 में**, MeitY ने "**सहयोग**" नामक एक पोर्टल लॉन्च किया, **जहाँ इन प्राधिकरणों द्वारा ब्लॉकिंग आदेश जारी और अपलोड किए जा सकते हैं।**

स्रोत:

- Indian Express - Section 79

सागरमाला योजना

संदर्भ

हाल ही में सागरमाला कार्यक्रम के तहत बंदरगाह आधारित विकास की समीक्षा और उसे बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति की चौथी बैठक आयोजित की गई।

सागरमाला योजना के बारे में -

- यह भारत सरकार द्वारा **बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) के तहत 2015** में शुरू की गई **बंदरगाह-आधारित** विकास पहल है।
- **उद्देश्य**: **बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करना, रसद दक्षता में सुधार करना** और भारत की लंबी तटरेखा (7,500 किमी), 14,500 किमी. नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्ग और वैश्विक समुद्री व्यापार मार्गों पर रणनीतिक स्थान का लाभ उठाकर तटीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना।
- **राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति** (**NSAC**): इसकी स्थापना मई 2015 में सागरमाला के तहत बंदरगाह आधारित विकास की देखरेख के लिए की गई थी।
- **सागरमाला की उपलब्धियां**:
  - पिछले दशक में तटीय शिपिंग में **118%** की वृद्धि हुई है।
  - रो-पैक्स फेरी सेवाओं से **40 लाख** से अधिक यात्रियों ने आवागमन किया है।
  - नौ भारतीय बंदरगाह अब **वैश्विक स्तर पर शीर्ष 100** में शुमार हैं **(विशाखापत्तनम शीर्ष 20 कंटेनर बंदरगाहों में से एक है)**।

सागरमाला के 5 प्रमुख स्तंभ -

- **बंदरगाह आधुनिकीकरण और नए बंदरगाहों का विकास**: कार्गो हैंडलिंग क्षमता में वृद्धि, टर्नअराउंड समय में कमी और भारतीय बंदरगाहों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार।
  - **2.91 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली 234 बंदरगाह आधुनिकीकरण परियोजनाएँ** (103 पूर्ण, 230 MTPA क्षमता वृद्धि)।
- **बंदरगाह कनेक्टिविटी में सुधार**: सड़क, रेल और अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से बंदरगाहों की अंतिम-मील कनेक्टिविटी में सुधार।
  - **2.06 लाख करोड़ रुपये की लागत की 279 कनेक्टिविटी परियोजनाएँ** (92 पूर्ण, 1,500 किमी सड़क/रेल संपर्क जोड़ना)।
- **बंदरगाह-आधारित औद्योगिकीकरण और तटीय आर्थिक क्षेत्र** (**CEZs**): विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बंदरगाहों के पास औद्योगिक क्लस्टर स्थापित करना।
  - **₹55,000 करोड़ रुपये की लागत की 14 औद्योगिक परियोजनाएँ (9 पूर्ण)।**
  - **गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश** में तटीय आर्थिक क्षेत्रों का विकास।
- **तटीय सामुदायिक विकास**: तटीय आबादी, विशेष रूप से मछुआरों और स्थानीय व्यवसायों की आजीविका में सुधार करना।
  - 26,000 करोड़ रुपये की लागत की 310 परियोजनाओं से 30,000 से अधिक मछुआरों को लाभ मिलेगा।
- **अंतर्देशीय जलमार्ग विकास**: सड़कों और रेलवे पर भीड़भाड़ को कम करने के लिए जल-आधारित परिवहन को बढ़ावा देना।
  - राष्ट्रीय जलमार्गों (**गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, आदि**) का जीर्णोद्धार।
  - एक दशक में अंतर्देशीय जलमार्ग कार्गो में **700%** की वृद्धि।

सागरमाला 2.0 -

- **फोकस क्षेत्र**: जहाज निर्माण, मरम्मत, शिप ब्रेकिंग और पुनर्चक्रण।
- **निवेश**: अगले दशक में 12 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने के लिए 40,000 करोड़ रुपये का बजटीय समर्थन।
- **उद्देश्य:**
  - महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की कमियों को पाटना।
  - तटीय आर्थिक विकास को बढ़ाना।
  - भारत को वैश्विक समुद्री लीडर के रूप में स्थापित करना।

सागरमाला स्टार्टअप इनोवेशन पहल (S2I2) -

- **उद्देश्य**: **RISE (शोध, नवाचार, स्टार्टअप और उद्यमिता)** की एक नई लहर को आगे बढ़ाना।
- **मुख्य फोकस क्षेत्र:** ग्रीन शिपिंग, स्मार्ट पोर्ट, समुद्री रसद, जहाज निर्माण प्रौद्योगिकी, सतत तटीय विकास।
- **प्रदान की गई सहायता**: फंडिंग, मेंटरशिप और उद्योग भागीदारी।

स्रोत:

- PIB - Sagarmala

अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति

संदर्भ

IOC के 130 साल के इतिहास में पहली बार एक महिला को IOC अध्यक्ष के पद पर चुना गया है।

अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) के बारे में -

- **IOC ओलंपिक आंदोलन का सर्वोच्च प्राधिकरण है।**
- यह **ओलंपिक खेलों के आयोजन** और दुनिया भर में ओलंपिकवाद को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है।
- इसकी स्थापना **1894 में पियरे डी कुबर्टिन** ने की थी। (मुख्यालय - लॉज़ेन, स्विटज़रलैंड)

IOC की संरचना -

- **अध्यक्ष:**
  - **IOC अध्यक्ष** का **कार्यकाल आठ वर्ष** का होता है**,** जिसे **चार और वर्षों** के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।
  - **वर्तमान अध्यक्ष (2025) क्रिस्टी कोवेंट्री (जिम्बाब्वे)** हैं**,** जो **इस पद पर आसीन होने वाली पहली महिला और अफ्रीकी हैं।**
- **IOC सदस्य:**
  - IOC **के 100** से अधिक सदस्य हैं**, जिनमें राजपरिवार**, **राष्ट्राध्यक्ष**, **एथलीट और कारोबारी नेता शामिल हैं।**
  - सदस्य **ओलंपिक मूवमेंट के ट्रस्टी के रूप में काम करते हैं**, न कि अपने देशों के प्रतिनिधि के रूप में।
  - **भारत की वर्तमान** IOC **सदस्य**: **नीता अंबानी (रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन)।**
- **कार्यकारी बोर्ड**:
  - यह दैनिक कार्यों की देखरेख करता है। इसमें **अध्यक्ष, चार उपाध्यक्ष और दस अन्य सदस्य शामिल होते हैं।**
- **आयोग एवं समितियां**:
  - IOC के विभिन्न आयोग हैं जो निम्नलिखित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं: एथलीट कल्याण, नैतिकता और शासन, डोपिंग रोधी नीतियां आदि।

- **आगामी ओलंपिक**: पेरिस 2024 (ग्रीष्म), मिलान-कॉर्टिना 2026 (शीतकालीन), लॉस एंजिल्स 2028 (ग्रीष्म), ब्रिस्बेन 2032 (ग्रीष्म)।
- भारत **2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए बोली लगा (बिडिंग) रहा है।**

स्रोत:

- [Indian Express - IOC]

समाचार संक्षेप में

यूनिफाइड इंटरफ़ेस लॉजिस्टिक्स प्लेटफ़ॉर्म (ULIP)

- **ULIP** ने 100 करोड़ से अधिक एपीआई लेनदेन दर्ज किए हैं, जो भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

ULIP के बारे में -

- **ULIP** एक डिजिटल पहल है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सितंबर 2022 में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP) के तहत लॉन्च किया गया था।
- इसका उद्देश्य भारत में एक निर्बाध, प्रौद्योगिकी-संचालित और कुशल लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम का सृजन करना है।
- यह **आपूर्ति श्रृंखला दक्षता और पारदर्शिता में सुधार के लिए कई सरकारी मंत्रालयों और निजी हितधारकों से लॉजिस्टिक्स डेटा को एकीकृत करता है।**
- **रियल-टाइम कार्गो ट्रैकिंग: सड़क, रेल, समुद्र और हवाई परिवहन** में ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है।
- **ULIP** सरकारी रसद नीतियों और विनियमों के अनुपालन को सरल बनाता है ➡ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देता है।
- **ULIP** का रखरखाव **NICDC लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज लिमिटेड** (**NLDSL**) द्वारा किया जाता है।
  - NLDSL भारत सरकार के **राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट** (**NICDIT**) और **जापानी** आईटी दिग्गज **NEC कॉर्पोरेशन** के बीच एक संयुक्त उद्यम है।

स्रोत:

- DD News - ULIP

नवरोज़ उत्सव

- नवरोज़, जिसे नौरोज़ के नाम से भी जाना जाता है, फ़ारसी नव वर्ष है और उत्तरी गोलार्ध में वसंत की शुरुआत का प्रतीक है।
- यह **वसंत विषुव** के साथ **20 या 21 मार्च** को मनाया जाता है।
- यह पर्व पारसी धर्म के संस्थापक **जोरोस्टर** से संबद्ध है और 3,000 वर्षों से अधिक समय से मनाया जाता रहा है।
- यूनेस्को ने **2009** में नवरोज़ को **मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची** में शामिल किया।
- इसकी शुरुआत भारत में **दिल्ली के सुल्तान गियास-उद-दीन बलबन** द्वारा की गयी थी।

स्रोत:

- PIB - Navroz

जीपीएस स्पूफिंग(GPS Spoofing)

- **नवंबर 2023 और फरवरी 2025 के बीच, 465 जीपीएस हस्तक्षेप और स्पूफिंग** की घटनाएं दर्ज की गईं, मुख्य रूप से **भारत-पाकिस्तान सीमा** के पास अमृतसर और जम्मू क्षेत्रों में।

जीपीएस स्पूफिंग क्या है?

- **जीपीएस स्पूफिंग** एक **साइबर अटैक तकनीक** है, जिसमें एक नकली जीपीएस सिग्नल को जीपीएस रिसीवर को गलत स्थान, समय या वेग की गणना करने के लिए गुमराह करने के लिए प्रेषित किया जाता है।

- **यह जीपीएस जैमिंग से अलग है,** जो सिग्नल को ब्लॉक करता है, जबकि स्पूफिंग उपयोगकर्ताओं को गुमराह करने के लिए उनमें हेरफेर करता है।
- **स्पूफिंग का प्रभाव**:
  - विमान को **यह सोचकर गुमराह किया जा सकता है कि वे किसी अलग उड़ान पथ पर हैं।**
  - जहाज़ और वाहन **गलत तरीके से नेविगेट** कर सकते हैं, जिससे संभावित सुरक्षा व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं।
  - **सैन्य अभियान, वित्तीय लेन-देन और व्यक्तिगत नेविगेशन** ऐप प्रभावित हो सकते हैं।

स्रोत:

- The Hindu - GPS Spoofing

अंटार्कटिका की आइस शेल्फ के नीचे जीवन की खोज

- वैज्ञानिकों की एक टीम ने अंटार्कटिका की आइस शेल्फ के नीचे अज्ञात जल के भीतर दुनिया में विशाल समुद्री मकड़ियों, ऑक्टोपस और **कोरल सहित दर्जनों नई प्रजातियों** की खोज की।
- यह खोज तब संभव हुई जब **A-84 हिमखंड**, जिसका आकार **510 वर्ग किलोमीटर** (**कोलकाता के आकार का लगभग 2.5 गुना**) था, **जॉर्ज VI आइस शेल्फ** से अलग हो गया।
- यह खोज **चैलेंजर 150** का हिस्सा है, **जो गहरे समुद्र में शोध के लिए यूनेस्को द्वारा समर्थित वैश्विक पहल है।**
- **खोजी गयी नई प्रजातियाँ**: विशाल **समुद्री मकड़ियाँ**, **ऑक्टोपी, कोरल, जेलीफ़िश और स्पंज।**

स्रोत:

- Indian Express - Undiscovered Life

संपादकीय सारांश

संसदीय बजट के मामलों में भारत हाशिए पर

संदर्भ
भारत में, कार्यपालिका द्वारा संचालित बजट प्रक्रिया संसदीय प्रभाव को सीमित कर देती है, जिससे विधायिका को वित्तीय नीतियों को आकार देने या उनकी जांच करने का न्यूनतम अवसर मिलता है।

बजट तैयार करने की प्रक्रिया -
1. **बजट पूर्व परामर्श**
2. **बजट अनुमानों का निर्माण**
3. **कैबिनेट द्वारा अनुमोदन**
4. **संसद में प्रस्तुति**
5. **संसदीय जांच और अनुमोदन:** बजट **पर संसद में चर्चा की जाती है** , उसके बाद:
    - सामान्य चर्चा (केवल चर्चा, मतदान नहीं)।
    - संसदीय स्थायी समितियों द्वारा विभागीय जांच।
    - अनुदान की मांग (विस्तृत चर्चा एवं मतदान)।
    - विनियोग विधेयक (खर्च के लिए विधिक अनुमति)।
    - वित्त विधेयक (कर प्रस्तावों के लिए विधान)।
6. **कार्यान्वयन**

संवैधानिक प्रावधान जो बजट को आवश्यक बनाते हैं -

अनुच्छेद	**विवरण**
अनुच्छेद 112	राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा।
अनुच्छेद 113	राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती।
अनुच्छेद 114	संसदीय अनुमति के बिना भारत की संचित निधि (सीएफआई) से धन निकासी की अनुमति नहीं है।
अनुच्छेद 266	सभी सरकारी राजस्व भारत की संचित निधि में जमा किए जायेंगे, जबकि अन्य सार्वजनिक निधियां, जैसे भविष्य निधि और पोस्टल बीमा, भारत के लोक लेखे में जमा किए जायेंगे।
अनुच्छेद 267	संसद, विधि द्वारा, अप्रत्याशित व्यय को संबोधित करने के लिए एक आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगी।

बजट के घटक क्या हैं ?

- राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का अनुमान;
- राजस्व बढ़ाने के तरीके और साधन;
- व्यय का अनुमान;
- अंतिम वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों और व्यय का ब्यौरा तथा उस वर्ष में किसी घाटे या अधिशेष के कारण; और
- आगामी वर्ष की आर्थिक एवं वित्तीय नीति, अर्थात कराधान प्रस्ताव, राजस्व की संभावनाएं, व्यय कार्यक्रम तथा नई योजनाओं/परियोजनाओं की शुरूआत।
- इसमें करों, शुल्कों और अन्य स्रोतों से प्राप्त राजस्व के साथ-साथ सरकारी कार्यक्रमों, सार्वजनिक सेवाओं और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए व्यय भी शामिल हैं।
- बजट में आमतौर पर ऋण और घाटे के अनुमान भी शामिल होते हैं, जो सरकार के व्यय और राजस्व के बीच का अंतर होता है।

लेखानुदान क्या है?

- लेखानुदान भारत की संचित निधि से किसी अवधि में धन निकालने की अनुमति है, जो आमतौर पर दो महीने की होती है।
- लेखानुदान केवल सरकारी बजट के व्यय से संबंधित होता है।
- वर्ष 2016 से बजट सत्र 1 फरवरी को शुरू होता है (पहले यह फरवरी का अंतिम सप्ताह होता था)।
    - इससे लेखानुदान की उपयोगिता कम हो गई है, क्योंकि अब विनियोग विधेयक का पारित होना अगले वित्तीय वर्ष के शुरू होने से पहले ही संभव हो गया है।
- चुनावी वर्षों के दौरान अंतरिम बजट के कारण लेखानुदान अभी भी प्रासंगिक है।

बजट एक कार्यकारी-संचालित प्रक्रिया कैसे है?

- **बजट प्रारूप पर कार्यपालिका का एकाधिकार:** वित्त मंत्रालय संसद या यहां तक कि मंत्रिमंडल की सार्थक भागीदारी के बिना अकेले ही बजट का प्रारूप तैयार करता है।
    - विधायी विधेयकों के विपरीत, जिनके लिए मंत्रिमंडल में गहन चर्चा और संसदीय बहस की आवश्यकता होती है, बजट बंद दरवाजों के पीछे तैयार किया जाता है, जिससे पारदर्शिता और व्यापक इनपुट सीमित हो जाते हैं।
- **न्यूनतम बहस और निगरानी:** बजटीय मामलों में संसद की भूमिका काफी हद तक प्रतीकात्मक है।
    - एक बार जब बजट लोकसभा में प्रस्तुत हो जाता है, तो सांसद उस पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उनके पास प्रस्तावों में संशोधन करने या महत्वपूर्ण परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होता।
    - बहसें प्रायः संक्षिप्त और सतही होती हैं, जिससे विधायी निरीक्षण वित्तीय नीतियों को सक्रिय रूप से आकार देने के बजाय मात्र अनुमोदन तक सीमित रह जाता है।
- **राज्य सभा का बहिष्करण:** विधायी ढांचे का हिस्सा होने के बावजूद, राज्य सभा की बजट चर्चाओं में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है ।
    - भारत में वित्त मंत्री को राज्यसभा सदस्य होने की अनुमति है, लेकिन उन्हें लोकसभा में अपने (स्वयं के) बजट प्रस्तावों पर वोट देने का अभाव है, जहां बजट पेश और पारित किया जाता है, जो वित्तीय मामलों पर द्विसदनीय प्रभाव की कमी को उजागर करता है ।
- **स्वतंत्र अनुसंधान सहायता का अभाव:** भारतीय विधायिका के पास डेटा-आधारित विश्लेषण और विशेषज्ञ अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए संसदीय बजट कार्यालय (**PBO**) जैसी स्वतंत्र, गैर-पक्षपातपूर्ण संस्था तक पहुंच का अभाव है।
    - इससे बजटीय प्रस्तावों की जांच करने और सूचित सिफारिशें देने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है।
- **बजट-पूर्व परामर्श का अभाव:** कुछ लोकतंत्रों के विपरीत, जहां संसदें बजट-पूर्व परामर्श में संलग्न होती हैं, भारत में बजट को अंतिम रूप दिए जाने से पहले सांसदों द्वारा सुझाव प्रदान करने के लिए कोई संरचित तंत्र नहीं है ।

    - इससे संसद को मसौदा तैयार करने के चरण में सरकार की आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं को प्रभावित करने से रोका जा सकेगा।
- **कमजोर लोकतांत्रिक जवाबदेही:** बजट निर्माण में कार्यपालिका का प्रभुत्व संसदीय जवाबदेही के सिद्धांत को कमजोर करता है।
    - वित्तीय नीतियों को संशोधित करने या सार्थक रूप से प्रभावित करने की शक्ति के बिना, सार्वजनिक प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करने और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने में संसद की भूमिका कमजोर हो जाती है।

संसदीय बजट को मजबूत करने के तरीके -

- **बजट-पूर्व चर्चाएं शुरू करना: मानसून सत्र** के दौरान 5 से 7 दिनों के लिए बजट-पूर्व चर्चाओं को संस्थागत रूप देना।
    - विधि निर्माताओं को राष्ट्र के राजकोषीय स्वास्थ्य का आकलन करने, बजटीय प्राथमिकताओं की रूपरेखा तैयार करने तथा संसाधन आवंटन रणनीतियों का सुझाव देने की अनुमति देना।
    - संसदीय बहस की गुणवत्ता बढ़ाने और सूचित इनपुट प्रदान करने के लिए सब्जेक्ट कमेटी के बीच समन्वय को प्रोत्साहित करना।
- **संसदीय बजट कार्यालय (PBO) की स्थापना करना:** बजटीय मामलों पर विशेषज्ञ विश्लेषण प्रदान करने के लिए एक स्वतंत्र, गैर-पक्षपातपूर्ण निकाय बनाना।
    - **अमेरिकी कांग्रेस बजट कार्यालय (CBO) और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन** में मौजूद निकायों के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए।
    - **PBO:**
        - स्वतंत्र आर्थिक पूर्वानुमान करना।
        - प्रस्तावित नीतियों के राजकोषीय प्रभाव का आकलन करना।
        - सांसदों को सूचित निर्णय लेने के लिए डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि और संक्षिप्त नीति विवरण प्रदान करना।
- **संसदीय समितियों की भूमिका को बढ़ाना:** बजट जांच में विभागीय स्थायी समितियों की भागीदारी को मजबूत करना।
    - सुनिश्चित करना कि इन समितियों के पास बजट प्रस्तावों का विस्तार से मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त समय और संसाधन हों।
    - समिति की सिफ़ारिशों को सरकार के लिए अधिक बाध्यकारी बनाया जाए।
- **बजटीय चर्चाओं में राज्य सभा को सशक्त बनाना:** बजट प्रस्तावों पर बहस करने और उन्हें प्रभावित करने में राज्य सभा को अधिक भूमिका प्रदान करना, भले ही मताधिकार प्रतिबंधित रहे।
    - यह सुनिश्चित करना कि वित्त मंत्री, जो राज्यसभा के सदस्य हैं, वित्तीय मामलों पर लोक सभा के साथ अधिक सक्रियता से जुड़ें।
- **पारदर्शिता और सार्वजनिक सहभागिता बढ़ाना:** पारदर्शिता में सुधार के लिए विस्तृत बजट दस्तावेज़ और आर्थिक पूर्वानुमान प्रकाशित करना।
    - बजट को अंतिम रूप देने से पहले सार्वजनिक परामर्श और हितधारक फीडबैक को प्रोत्साहित करना।
- **संसद को संशोधन शक्तियां प्रदान करना:** संसद को बजट प्रस्तावों को समग्र रूप से स्वीकृत या अस्वीकृत करने के बजाय, उनमें विशिष्ट परिवर्तनों का सुझाव देने और मतदान करने की अनुमति देना।
    - क्षेत्रीय आवंटन और नीति प्राथमिकताओं को प्रभावित करने के लिए सांसदों को अधिक अधिकार प्रदान करना।

स्रोत: **The Hindu: India’s marginalised Parliament in budgetary affairs**

भारत की अध्यक्षता में IORA के लिए मार्ग तैयार करना

संदर्भ
भारत नवंबर 2025 से हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) की अध्यक्षता करने के लिए तैयार है।

IORA के बारे में -
- **हिंद महासागर के देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 1997 में स्थापित।**
- इसमें **23 सदस्य देश** और **11 संवाद साझेदार** (अमेरिका, चीन और यूरोपीय संघ सहित) शामिल हैं।
    - **भारत वर्तमान में IORA का उपाध्यक्ष है।**
- **फोकस क्षेत्रों में शामिल हैं:**
    - समुद्री सुरक्षा और संरक्षा
    - व्यापार और निवेश सुविधा
    - आपदा जोखिम प्रबंधन
    - मत्स्य प्रबंधन
    - शैक्षणिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान
    - नीली अर्थव्यवस्था का विकास

हिंद महासागर का महत्व -
- **सामरिक व्यापार मार्ग: वैश्विक व्यापार का 75%** और **दैनिक तेल खपत का 50%** संभालता है।
    - **1 ट्रिलियन डॉलर की** वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है।
    - अंतर-IORA व्यापार (2023) में **800 बिलियन डॉलर की** सुविधा प्रदान करता है।
- **संसाधन और आर्थिक महत्व:** समुद्री जैव विविधता और मत्स्य संसाधनों से समृद्ध।
    - ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री-आधारित उद्योगों (शिपिंग, तेल और गैस, पर्यटन) के लिए महत्वपूर्ण।
    - होर्मुज जलडमरूमध्य, मलक्का जलडमरूमध्य और बाब अल-मन्देब जैसे प्रमुख चोकपॉइंट्स का गृह।
- **भू-राजनीतिक महत्व: यह हिन्द-प्रशांत रणनीति** का मूल आधार है।
    - **चीन**, **अमेरिका**, **जापान** और **भारत** जैसी प्रमुख शक्तियों के लिए प्रमुख क्षेत्र।

हिंद महासागर के समक्ष चुनौतियाँ -
- **सुरक्षा मुद्दे:** समुद्री डकैती, आतंकवाद और तस्करी (मानव, ड्रग्स, हथियार)।
    - चीन और अमेरिका जैसी बाहरी शक्तियों का बढ़ता प्रभाव
    - समुद्री सीमा विवाद.
- **पर्यावरण एवं जलवायु चुनौतियाँ:** समुद्र का बढ़ता स्तर और तटीय क्षरण।
    - समुद्री प्रदूषण और प्रवाल भित्तियों का क्षरण।
    - चक्रवातों और सुनामी की आवृत्ति में वृद्धि।
- **आर्थिक एवं विकास संबंधी मुद्दे:** विकासशील तटीय राज्यों में खराब बुनियादी ढांचा।
    - टिकाऊ मत्स्य पालन और समुद्री प्रशासन के लिए संसाधनों की कमी।
    - क्षेत्रीय परियोजनाओं के लिए बाह्य वित्तपोषण पर निर्भरता।
- **संस्थागत कमजोरी:** IORA का बजट सदस्य राज्यों (मुख्य रूप से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं) पर निर्भर है।
    - सदस्य राज्यों के बीच समन्वय का अभाव और सीमित संस्थागत क्षमता।
    - **मॉरीशस** में स्थित लघु सचिवालय, जिसमें सीमित कर्मचारी हैं।

भारत को क्या करना चाहिए -
- **IORA के वित्तपोषण का विस्तार करना:** निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना(शिपिंग कंपनियां, तेल और गैस, समुद्री पर्यटन)।

  - लक्षित समुद्री परियोजनाओं के लिए एक समर्पित IORA कोष की स्थापना करना।
- **प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना:** बेहतर डेटा प्रबंधन और नीति विश्लेषण के लिए **डिजिटल रिकॉर्ड-कीपिंग** लागू करना।
  - शासन और निर्णय लेने में सुधार के लिए डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि का उपयोग करना
- **क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाना:** IORA के लक्ष्यों को भारत के **सागर (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास)** दृष्टिकोण के साथ संरेखित करना।
  - **ऑस्ट्रेलिया** और **फ्रांस** जैसे अग्रणी IORA सदस्यों के साथ अनुसंधान सहयोग को प्रोत्साहित करना।
  - **श्रीलंका**, **मॉरीशस** और **सेशेल्स** जैसे देशों से **पारंपरिक तटीय ज्ञान को** मुख्यधारा में लाना।
- **समुद्री-केंद्रित शिक्षा का विकास करना:** औद्योगिक नेताओं और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से **समुद्री-तैयार पाठ्यक्रम** तैयार करना।
  - **समुद्री लेखांकन** और अंतःविषयक नीली अर्थव्यवस्था कार्यक्रम शुरू करना।
- **संस्थागत क्षमता को मजबूत करना:** IORA सचिवालय की स्टाफिंग और परिचालन क्षमता में वृद्धि करना।
  - वित्तीय और रणनीतिक निर्णयों की निगरानी के लिए आईओआरए के भीतर एक समर्पित संसदीय बजट कार्यालय (PBO)-शैली निकाय की स्थापना करना।
- **सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना:** IORA सदस्य देशों के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास और सूचना-साझाकरण को बढ़ाना।
  - समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए छोटे तटीय देशों के क्षमता निर्माण का समर्थन करना।

स्रोत: **The Hindu: Charting a route for IORA under India's chairship**

मातृ मृत्यु दर कम करने में भारत की सफलता

संदर्भ

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा के अनुसार, भारत ने **राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (NHP) 2017** के तहत मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) को 2020 तक घटाकर 100 प्रति लाख जीवित जन्म तक लाने के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है तथा वह 2030 तक MMR को घटाकर 70 तक लाने के सतत विकास लक्ष्य (SDG) को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

परिचय -

- भारत में मातृ मृत्यु दर एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई है, जो स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता और पहुंच का प्रमुख संकेतक है।
- **मातृ मृत्यु से तात्पर्य गर्भावस्था के दौरान या गर्भावस्था समाप्ति के 42 दिनों के भीतर, दुर्घटना कारणों को छोड़कर, गर्भावस्था से संबंधित कारणों से होने वाली महिला की मृत्यु से है।**
- महिलाओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने तथा वैश्विक स्वास्थ्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मातृ मृत्यु दर को कम करना महत्वपूर्ण है।

मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) की परिभाषा -

- **MMR को एक विशिष्ट अवधि के दौरान प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है।**
- भारत ने **MMR** को 2014-16 में प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 130 से घटाकर 2018-20 में प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 97 तक लाने में उल्लेखनीय प्रगति की है।
- यह सुधार सरकारी कार्यक्रमों, बेहतर स्वास्थ्य सेवा पहुंच और बेहतर चिकित्सा हस्तक्षेप के प्रभाव को दर्शाता है।

भारत में मातृ मृत्यु दर के रुझान -

- **15 मई, 2015 को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने भारत को मातृ एवं नवजात टेटनस उन्मूलन के लिए प्रमाणित किया।**

- भारत में मातृ मृत्यु दर में पिछले कुछ वर्षों में लगातार गिरावट देखी गई है, जो मातृ स्वास्थ्य देखभाल में प्रगति को दर्शाती है।
- कुछ राज्यों ने अपने मातृ मृत्यु दर को सतत विकास लक्ष्य (SDG) के लक्ष्य प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 70 से कम कर दिया है, जबकि अन्य अभी भी मातृ मृत्यु दर को कम करने में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

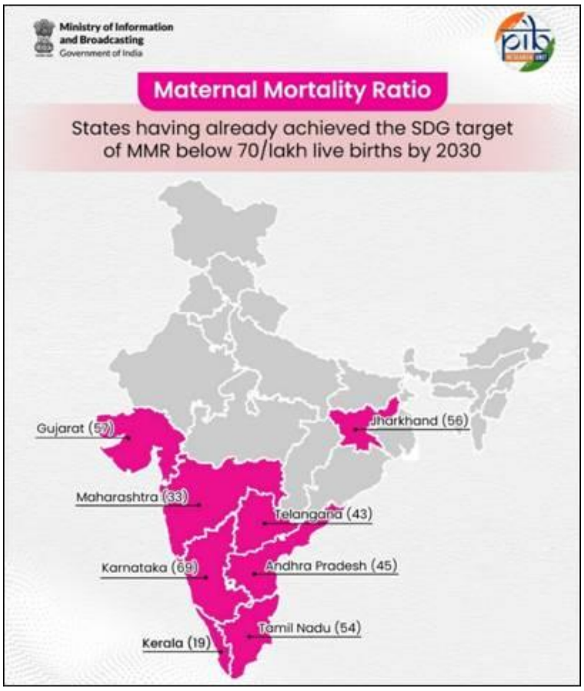

NFHS-5 (2019-21) के प्रमुख निष्कर्ष -

- **प्रसवपूर्व देखभाल (ANC) विज़िट**: पहली तिमाही में ANC विज़िट में भाग लेने वाली गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत 59% (NFHS-4, 2015-16) से बढ़कर 70% (NFHS-5, 2019-21) हो गया।
- **अनुशंसित ANC विज़िट**: स्वास्थ्य प्रदाताओं से कम से कम चार ANC विज़िट प्राप्त करने वाली महिलाओं का प्रतिशत 51% (2015-16) से बढ़कर 59% (2019-21) हो गया।
- **संस्थागत जन्म**: राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत जन्म 79% (2015-16) से बढ़कर 89% (2019-21) हो गया।
  - केरल, गोवा, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और तमिलनाडु में 100% संस्थागत प्रसव की सूचना दी गई, जबकि 18 अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 90% से अधिक प्रसव हुए।
- **ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव:** लगभग 87% ग्रामीण जन्म और 94% शहरी जन्म स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में आयोजित किए गए।

MMR कम करने के लिए सरकारी पहल -

- **वैश्विक और राष्ट्रीय लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता:** भारत 2030 तक MMR को घटाकर 70 प्रति 1,00,000 जीवित जन्म करने के संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध है।
  - भारत ने 2020 तक MMR को घटाकर 100 प्रति 1,00,000 जीवित जन्म करने के राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी) 2017 के लक्ष्य को पहले ही हासिल कर लिया है।
- **प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल, किशोर स्वास्थ्य और पोषण (RMNCAH+N) रणनीति**: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता प्रदान करता है।
  - **RMNCAH+N** का उद्देश्य उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं के लिए स्वास्थ्य सेवा पहुंच में सुधार और समय पर हस्तक्षेप करके मातृ और नवजात मृत्यु दर को कम करना है।

NHM के अंतर्गत प्रमुख कार्यक्रम -

- **जननी सुरक्षा योजना (JSY) (2005 में शुरू):** इसका उद्देश्य संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करना है।
  - गर्भवती महिलाओं, विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बीपीएल परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

- **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) (2017 में शुरू)**: परिवार के पहले जीवित बच्चे के लिए **₹5000 का मातृत्व लाभ प्रदान करती है।**
  - **PMMVY 2.0 (अप्रैल 2022 से)** के तहत, दूसरी संतान लड़की होने पर अतिरिक्त नकद प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
- **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK) (2011 में शुरू** किया गया): सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में गर्भवती महिलाओं और बीमार शिशुओं के लिए जेब से होने वाले खर्च को समाप्त करता है।
  - इसमें निःशुल्क प्रसव (सिजेरियन सहित), परिवहन, निदान, दवाइयां और अन्य चिकित्सा आवश्यकताएं शामिल हैं।
- **सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (SUMAN) (2019 में शुरू** किया गया): गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए नि:शुल्क, सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करता है।
  - रोकथाम योग्य मातृ एवं नवजात मृत्यु को समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
  - SUMAN के तहत, व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को बुनियादी, **BEmONC (बेसिक इमरजेंसी प्रसूति एवं नवजात देखभाल) और CEmONC (व्यापक आपातकालीन प्रसूति एवं नवजात देखभाल)** केंद्रों में वर्गीकृत किया गया है।
- **प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) (2016 में शुरू किया गया):** हर महीने की **9 तारीख** को निःशुल्क, सुनिश्चित प्रसवपूर्व देखभाल प्रदान करता है।
  - **e-PMSMA** के अंतर्गत, उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं पर नजर रखी जाती है तथा अतिरिक्त विजिट के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है।
  - **मार्च 2025** तक **5.9 करोड़** से अधिक गर्भवती महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं।
- **लक्ष्य (2017 में शुरू): इसका उद्देश्य प्रसव कक्षों** और **प्रसूति ऑपरेशन थिएटरों** में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करना है।
  - प्रसव के दौरान और प्रसवोत्तर अवधि में सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण देखभाल सुनिश्चित करना।

अतिरिक्त उपाय -

- **क्षमता निर्माण:** एमबीबीएस डॉक्टरों को एनेस्थीसिया (एलएसएएस) और प्रसूति देखभाल (ईएमओसी) में प्रशिक्षित किया जाता है, ताकि विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञों की कमी को दूर किया जा सके।
- **मातृ मृत्यु निगरानी समीक्षा (MDSR):** यह सुविधा और समुदाय दोनों स्तरों पर मातृ मृत्यु पर नज़र रखती है।
  - इससे प्रसूति देखभाल में कमियों की पहचान करने और उसकी गुणवत्ता सुधारने में मदद मिलती है।
- **ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस (VHSND):** पोषण सेवाओं सहित मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने वाली मासिक आउटरीच गतिविधि।
- **सूचना, शिक्षा और संचार (IEC/BCC):** प्रारंभिक एएनसी पंजीकरण, नियमित एएनसी दौरे, संस्थागत प्रसव और गर्भावस्था के दौरान उचित देखभाल को बढ़ावा देता है।
- **मातृ एवं शिशु सुरक्षा (MCP) कार्ड और सुरक्षित मातृत्व पुस्तिका:** गर्भवती महिलाओं को आहार, आराम, खतरे के संकेत और उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में शिक्षित करने के लिए वितरित की जाती है।
- **प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य (RCH) पोर्टल:** गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए एक वेब-आधारित ट्रैकिंग प्रणाली।
  - समय पर प्रसवपूर्व देखभाल, संस्थागत प्रसव और प्रसवोत्तर देखभाल सुनिश्चित करना।
- **एनीमिया मुक्त भारत (AMB) रणनीति:** किशोरों और गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की समस्या से निपटने के लिए **पोषण अभियान** का एक हिस्सा।
  - इसमें एनीमिया के परीक्षण, उपचार और गैर-पोषण संबंधी कारणों का समाधान शामिल है।

बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना

- **व्यापक गर्भपात देखभाल (CAC) सेवाएं:** स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के प्रशिक्षण, दवाओं, उपकरणों की आपूर्ति और सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) उपायों के माध्यम से सुदृढ़ीकृत।
- **वितरण बिंदुओं का उन्नयन: व्यापक RMNCAH+N** सेवाएं प्रदान करने के लिए वितरण बिंदुओं पर बेहतर बुनियादी ढांचे, उपकरण और प्रशिक्षित जनशक्ति ।
- **प्रथम रेफरल इकाइयों (FRUs) का कार्यात्मककरण:** बेहतर मातृ देखभाल के लिए कुशल जनशक्ति, रक्त भंडारण इकाइयों और रेफरल संपर्कों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई।
- **मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य (MCH) विंग:** मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता में सुधार के लिए उच्च केसलोड सुविधाओं पर स्थापित किए गए।
- **प्रसूति आईसीयू/एचडीयू सेटअप:** जटिल गर्भधारण और उच्च जोखिम वाले मामलों को संभालने के लिए उच्च केसलोड तृतीयक देखभाल सुविधाओं में संचालित।

मातृ स्वास्थ्य देखभाल में सफलता की कहानियाँ और नवाचार -

- **मध्य प्रदेश का 'दस्तक अभियान':** समुदाय द्वारा संचालित अभियान, जो मातृ स्वास्थ्य जोखिमों का शीघ्र पता लगाने और समय पर चिकित्सा हस्तक्षेप पर केंद्रित है।
- **तमिलनाडु का आपातकालीन प्रसूति देखभाल मॉडल:** एक मजबूत रेफरल प्रणाली की स्थापना की गई, जिससे गर्भवती महिलाओं को समय पर आपातकालीन देखभाल प्राप्त हो सके, तथा जटिलताएं कम हो सकें।
- **राज्य-स्तरीय नवाचार:** कई राज्यों ने मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए अद्वितीय और लक्षित रणनीतियों को लागू किया है, जो दूसरों के लिए आदर्श हैं।

निष्कर्ष

- **भारत ने 2020 तक MMR को 100 प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों से कम करने के राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी) 2017 के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है।**
- 2030 तक MMR को 70 प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों से कम करने के SDG लक्ष्य तक पहुँचने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है।
- स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को मजबूत करना, मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रमों का विस्तार करना और सामाजिक-आर्थिक बाधाओं को दूर करना मातृ मृत्यु दर को और कम करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।